

भारतीय मानक ब्यूरो

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस

LICENCE FOR THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रमाणन निकाय बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रत्यायित
(Accredited by National Accreditation Board for Certification Bodies, New Delhi)

लाइसेंस सं. म.क्षे.का/क्यूएम/एल-8002070.4

Licence No. CRO/QM/L-8002070.4

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act 2016 (11 of 2016), the Bureau hereby grants/renew to

मैसर्स नेशनल बेकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड

डवलपमेंट कारपोरेशन,

पांचवी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग,

3 सिरी इन्सटीट्यूशनल एरिया,

अगस्त क्रांति मार्ग,

नई दिल्ली - 110 016

M/s National Backward Classes Finance and
Development Corpn.,

5th Floor, NCUI Building,

3, Siri Institutional Area,

August kranti Marg,

New Delhi - 110 016

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है)। इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर (रों) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा, आई एस/ आई एस ओ 9001:2015 के अनुरूप गुणता प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर बताएं गए पते (पतों) पर निर्मित/प्रदत्/ प्रचालित किए जाएंगे।

(here in after called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of **Quality Management Systems Certification** in respect of the products and/or services of processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/ provided/carried out by the Licensee at only the address (es) given above, and under the Quality Management Systems in accordance with

IS/ISO 9001:2015

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत/नवीकृत किया गया है और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is **granted** subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made there under governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

यह लाइसेंस 26 जुलाई 2021 से 12 मार्च 2024 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा सकेगा।

This licence shall be valid from 26 July 2021 to 12 March 2024 and may be renewed as prescribed in the Regulations.

2021 के अगस्त माह के दसवें दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित

Signed, Sealed and dated this Tenth day of August 2021



(Dr. R.K. Tyagi)

Deputy Director General (Central)

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए

For BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Recertification Due Date

12 March 2024

Last certification expiry date
12 March 2021

Certification audit Date
09-10 April 2018





Q

लाइसेंस सं. म.क्षे.का/क्यूएम/एल-8002070.4

Licence No. CRO/QM/L-8002070.4

जारी: नेशनल बेकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डवलपमेंट कारपोरेशन, पांचवी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3 सिरी इन्सटीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110 016

Issued to : National Backward Classes Finance & Development Corporation, 5th Floor, NCUI Building, 3 Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi - 110 016

अनुसूची
SCHEDULE

वे उत्पाद सेवाएं प्रक्रम जिनके संबंध में फर्म को गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस स्वीकृत/नवीकृत किया गया है

Products Services/Processes with respect to which the firm has been granted/renewed the licence for Quality Management Systems Certification:

“Mobilizing, Finance and facilitating funds for the economic empowerment of persons to poor backward classes families & Skill Development Training Programme under scheme duly approved by the Board in pursuance of the Common Norms issued by the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship” However, (Clause 7.1.5) namely Monitoring & Measuring Resources, and (Clause 8.3) Design & Development, are not applicable to the Organization.

R. K. Tyagi

(Dr. R.K. Tyagi)

Deputy Director General (Central)

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए

For BUREAU OF INDIAN STANDARDS

